Index

1.	Rules for Earmarked Categories
2.	Admitted status of Earmarked Categories
3	Scholarship

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल–462004 2016-17

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 10 मई, 2016

क्रमांकः 307 / 88 / आउशि / शा–5'अ' / 2016 :: माननीय कुलाधिपति जी द्वारा दिये गये अनुमोदन एवं राज्य शासन के आदेश के अनुपालन में सत्र 2016–17 के लिए मध्यप्रदेश के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम / मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा अकादमिक कैलेण्डर जारी किये जाते हैं।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश

पृ0क्रमांकः 308 / 88 / आउशि / शा–5'अ' / 2016 भोपाल, दिनांक 10 मई 2016
प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. अवर सचिव, राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, म.प्र. भोपाल।
3. निज सहायक माननीय मंत्री / राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
4. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।
5. कुलसचिव, भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर / रीवा / उज्जैन / छतरपुर एवं सागर विश्वविद्यालय, म.प्र.।
6. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।
7. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
8. प्राचार्य, समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
9. राज्य सूचना अधिकारी (एन.आई.सी.), विन्दयाचल भवन, भोपाल।
10. प्रभारी, आई.टी.सेल, उच्च शिक्षा की ओर वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।

(उमाकान्त पाण्डेय)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश

लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा। किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को (विधि संकाय को छोड़कर) अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है।

9.5 ट्रॉन्सजेंडर को केवल सह–शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में ही प्रवेश दिया जावेगा।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए अर्ह परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार यदि कोई देय है तो अधिभार को जोड़कर समग्र प्रतिशत के अंको के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा।

10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी।

10.3 प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में शाला–स्तर के अध्यापन के कारण संबंधित बोर्ड द्वारा उनके पाठ्यक्रमों को संबद्धता यदि प्राप्त हो तो उस बोर्ड के प्रवेश नियमों को मान्य किया जा सकेगा। संस्कृत बोर्ड के परिणाम देर से घोषित होने पर 11वीं की अंक सूची के आधार पर पंजीयन कराया जा सकेगा। सी.एल.सी. चरण में इन आवेदकों को प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो सकेगा।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की दशा में पात्रतानुसार ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा –

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः **16** तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होगें। इन दोनों वर्गो के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछडे वर्ग (क्रीमी–लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये **14** प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातीयों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से **03** प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे संबंद्ध निःशक्त श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा :

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।

5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।
6. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
7. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

12.4 निःशक्तजन श्रेणी के आवेदकों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। निःशक्तजनों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

12.5 एन.सी.सी. '**सी**' प्रमाण–पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

12.6 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होगें।

12.7 उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन तथा उसके अधीनस्थ कार्यालय, आयुक्त, कार्यालय उच्च शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यो, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

12.8 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

12.9 <u>अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेशः</u>

अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल (<u>www.mphighereducation.nic.in</u>) पर रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बंधित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा, एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित मैपिंग महाविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थीयों की जानकारी विभाग के प्रवेश पोर्टल (<u>www.epravesh.nic.in</u>) पर उपलब्ध ऑनलाईन मॉड्यूल में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सारिणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करना होगा।

12.10 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।

12.11 अंतिम चरण में पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेगें।

12.12 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

12.13 **ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो:** पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देगी तथा प्रवेशित आवेदकों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेंगी।

13. अधिभार :

अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। **पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्ह परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा।** अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण–पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन–पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये आवेदन पत्र में उल्लेखित संबंधित प्रमाणपत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होंगे। सत्यापन के बाद प्रस्तुत अन्य प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउटस (स्काउट/गाईड्स/रेन्जर्स):

(क)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'ए' सर्टिफिकेट	2 प्रतिशत
(ख)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. '**बी**' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	3 प्रतिशत
(ग)	'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	4 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता	4 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी. कन्टिनजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	5 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट	5 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट	10 प्रतिशत
(झ)	मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	15 प्रतिशत
(र)	भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्चेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट	15 प्रतिशत
(ल)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्हुरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	10 प्रतिशत
(व)	भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	2 प्रतिशत
(श)	**जूडो/कराटे :**	
	यलो बेल्ट (Yellow Belt)	2 प्रतिशत
	ब्राउन बेल्ट (Brown Belt)	3 प्रतिशत
	ब्लेक बेल्ट (Black Belt)	4 प्रतिशत

Admission List

ANAND VIHAR CLLEGE FOR WOMEN,BHOPAL (M.P.)

DEPARTMENT OF EDUCATION

B.ED. TWO YEAR COURSE

ADMISSION FILE

SESSION 2016-17

मानक 100 सीटों के आधार पर आरक्षण निम्नानुसार होगा –

म0प्र0 राज्य के आवेदकों के लिए 75 सीट				बाह्य राज्य के आवेदकों के लिए 25 सीट				कुल सीट
सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
38	10	12	15	12	07	04	02	100

1. महिलाओं के लिए 30% एवं म0प्र0 राज्य के आवेदकों हेतु विभिन्न संवर्ग जैसे – निःशक्तजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं सैनिक हेतु पृथक–पृथक 3% तथा विधवा अथवा परित्यक्ता के लिए 1% क्षैतिजीय आरक्षण नियमानुसार प्रदान किया जावेगा।

2. अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जावेगा।

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

::आदेश::

भोपाल, दिनांक 30-5-17

क्रमांक 742/251/सीसी/17-अडतीस – माननीय कुलाधिपति जी द्वारा दिये गये अनुमोदन उपरांत राज्य शासन द्वारा सत्र 2017-18 के लिए मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत तथा अकादमिक कैलेण्डर जारी किये जाते हैं।

30-5-17
(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव,
म0प्र0शासन उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय,

पृ. क्रमांक 743/251/सीसी/17-अडतीस — भोपाल, दिनांक 30-5-17

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
2. अपर सचिव, मा.राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, भोपाल।
3. निज सहायक, मा.मंत्री जी /राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।
6. कुलसचिव, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/छतरपुर/सागर।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
9. प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
10. राज्य सूचना अधिकारी(एनआईसी) विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
11. प्रभारी, आई टी. सेल, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल। कृपया वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न- मार्गदर्शी सिद्धान्त (प्रवेश संबंधी)

30-5-17
अवर सचिव,
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

jan 2016

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए अर्ह परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार यदि कोई देय है तो अधिभार को जोड़कर समग्र प्रतिशत के अंको के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा।

10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी।

10.3 प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में शाला–स्तर के अध्यापन के कारण संबंधित बोर्ड द्वारा उनके पाठ्यक्रमों को संबद्धता यदि प्राप्त हो तो उस बोर्ड के प्रवेश नियमों को मान्य किया जा सकेगा। संस्कृत बोर्ड के परिणाम देर से घोषित होने पर 11वीं की अंक सूची के आधार पर पंजीयन कराया जा सकेगा। सी.एल.सी. चरण में इन आवेदकों को प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की दशा में पात्रतानुसार ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा –

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः **16** तथा **20** प्रतिशत स्थान आरक्षित होगें। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछडे वर्ग (क्रीमी–लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये **14** प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातीयों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से **03** प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे संबद्ध निःशक्त श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा :

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।
6. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
7. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

12.4 निःशक्तजन श्रेणी के आवेदकों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। निःशक्तजनों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

12.5 एन.सी.सी. **'सी'** प्रमाण–पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

12.6 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होगें।

12.7 उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन तथा उसके अधीनस्थ कार्यालय, आयुक्त, कार्यालय उच्च शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यो, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

12.8 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

12.9 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेशः

अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल (www.mphighereducation.nic.in) पर रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बंधित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा, एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित मैपिंग महाविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थीयों की जानकारी विभाग के प्रवेश पोर्टल (www.epravesh.nic.in) पर उपलब्ध ऑनलाईन मॉड्यूल में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सारिणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करना होगा।

12.10 आरक्षित स्थानो का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।

12.11 कंडिका 2.5 अनुसार तृतीय चरण में पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेगें।

12.12 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

12.13 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो:
पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देगी तथा प्रवेशित आवेदकों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेंगी।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त

वर्ष : 2017

बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. एवं बी.एड.–एम.एड. (एकीकृत) कार्यक्रमों हेतु

प्रवेश प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)

बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. (दो वर्षीय) एवं बी.एड.–एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय) कार्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त 2017

प्राप्त होने की स्थिति में) दर्ज कराते हुए पंजीयन कर प्रवेश प्रकिया में सम्मिलित हो सकेंगे एवं ऐसे आवेदक उपलब्ध चरण में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में रिक्त रह गए स्थानों के लिए ही अपनी वरीताएं व्यक्त कर गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

(5) समस्त प्रावधिक आवेदकों को एन.सी.टी.ई. रेग्युलेशन, 2014 के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अर्हताकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा अन्यथा प्रावधिक रूप से प्रवेश परीक्षा/फिटनेस टेस्ट/प्रोफिसियंसी टेस्ट में सम्मिलित होने के उपरांत भी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।

(6) इस संबंध में समस्त प्रावधिक आवेदकों को स्व–प्रमाणित घोषणा–पत्र संलग्न प्रारुप – 10 अनुसार भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(7) प्रावधिक आवेदकों द्वारा निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणामों की प्रविष्टि न करने, पंजीयन न कराने अथवा निर्धारित अर्हताकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त न करने की स्थिति में उनकी प्रवेश हेतु पात्रता नहीं रहेगी एवं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

3. **सीटों का आरक्षण** :

3.1 आरक्षण प्रतिशत : मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित 75 प्रतिशत एवं बाहरी राज्यों हेतु उपलब्ध 25 प्रतिशत स्थानों में से विभिन्न श्रेणियों के लिए स्थानों का आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार होगा :

स0क्र0	श्रेणी	मध्यप्रदेश के मूल निवासी	बाह्य राज्य के निवासी
1	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत	15 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी–परत छोड़कर)	14 प्रतिशत	27.5 प्रतिशत

ब – मध्यप्रदेश राज्य के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों में विभिन्न संवर्गो का आरक्षण निम्नानुसार होगा :

1. सैनिक सवंर्ग के प्रत्याशियों के लिये **03** प्रतिशत।
2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों के लिए **03** प्रतिशत।
3. निःशक्त प्रत्याशियों के लिये **03** प्रतिशत।
4. विधवा/परित्यक्ता के लिये **01** प्रतिशत।

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 8 मई 2018

क्रमांक 513/116/सीसी/ –अड़तीस–माननीय कुलाधिपति जी द्वारा दिये गये अनुमोदन उपरान्त राज्य शासन सत्र 2018–19 के लिए मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत तथा अकादमिक कैलेण्डर एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं।
(संलग्नः– उपरोक्तानुसार)

(जयश्री मिश्रा)
अपर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

पृ0क्रमांक 514/116/सीसी/ –अड़तीस,

भोपाल दिनांक 8 मई 2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, भोपाल म.प्र.।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
3. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र.।
6. कुलसचिव, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/छतरपुर म.प्र.
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
9. प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
10. राज्य सूचना अधिकारी (एनआईसी), विन्ध्याचल भवन, भोपाल म.प्र. की ओर कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. प्रभारी आई.टी. सेल, कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन, भोपाल। कृपया वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

अपर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की दशा में पात्रतानुसार ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा–

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (क्रीमी–लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातीयों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे संबंद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित–परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मैडल पत्रों में उल्लेख।
6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल, वीरता हेतु पुलिस मैडल
7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

12.4 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

12.5 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण–पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

12.6 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.7 उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन तथा उसके अधीनस्थ कार्यालय, आयुक्त, कार्यालय उच्च शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों,

ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

12.8 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

12.9 **अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेशः**

अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल (http://www.mphighereducation.nic.in) पर रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बंधित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित मैपिंग महाविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के ई–प्रवेश पोर्टल (www.epravesh.nic.in) पर उपलब्ध ऑनलाईन माड्यूल में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करना होगा।

12.10 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।

12.11 कंडिका 2.5 अनुसार सी.एल.सी. चरण में पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

12.12 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

12.13 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित होः पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देंगी तथा प्रवेशित आवेदकों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेंगी।

13. अधिभार :

अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण–पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन–पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये आवेदन पत्र में उल्लेखित संबंधित प्रमाणपत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होंगे। विशेष परिस्थितियों में सत्यापन के बाद, प्रस्तुत अन्य प्रमाण पत्रों पर, अधिभार हेतु

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त

वर्ष : 2018–19

बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., बी.एड.एम.एड. (एकीकृत)
बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड. एवं बी.एल.एड.
पाठ्यकमों हेतु

प्रवेश प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त

मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन
भोपाल, मध्यप्रदेश

3. सीटों का आरक्षण :

3.1 आरक्षण प्रतिशत : मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित 75 प्रतिशत एवं बाहरी राज्यों हेतु उपलब्ध 25 प्रतिशत स्थानों में से विभिन्न श्रेणियों के लिए स्थानों का आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार होगा :

स0क्र0	श्रेणी	मध्यप्रदेश के मूल निवासी	बाह्य राज्य के निवासी
1	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत	15 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी–परत छोड़कर)	14 प्रतिशत	27.5 प्रतिशत

ब –मध्यप्रदेश राज्य के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों में विभिन्न संवर्गो का आरक्षण निम्नानुसार होगा :

1. सैनिक सवंर्ग के प्रत्याशियों के लिये 03 प्रतिशत।
2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों के लिए 03 प्रतिशत।
3. निःशक्त प्रत्याशियों के लिये 05 प्रतिशत।
4. विधवा/परित्यक्ता के लिये 01 प्रतिशत।

3.2 महिलाओं के लिये आरक्षण शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत क्षैतिजीय (Horizontal) है। कुल स्थानों के 30 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को उनकी मेरिट (योग्यता क्रम) के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

3.2.1 सैनिक संवर्ग (एस) : कुल स्थानों के तीन प्रतिशत स्थान क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन सैनिक कर्मचारियों व उनके पुत्र, पुत्रियों या पत्नियों के लिये आरक्षित होंगी। सैनिक वर्ग में रक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत रक्षा कर्मचारी तथा ऐसे रक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों, आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण–पत्र तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में

18-19 2.1.1

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा
वल्लभ, भवन मंत्रालय–462004

::आदेश::

भोपाल, दिनांकः 25 मई 2019

क्रमांकः 285/116/सीसी/2019/अड़तीस :: माननीय कुलाधिपति जी द्वारा दिये गये अनुमोदन उपरान्त राज्य शासन सत्र 2019–20 के लिए मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत, अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं।

(संलग्न–उपरोक्तानुसार)

(जयश्री मिश्रा)
अपर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांकः 286/सीसी/2019/116

भोपाल, दिनांक 25 मई, 2019

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, भोपाल, म.प्र.।
2. निज सहायक, मान. मंत्री जी, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
3. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र.।
6. कुलसचिव,समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा//उज्जैन एवं छतरपुर म.प्र.।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
9. सी.ई.ओ. एम.पी. ऑनलाइन, द्वितीय तल डी.बी. मॉल, एम.पी. नगर, भोपाल म.प्र. की कार्यवाही हेतु।
10. प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
11. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा,म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

..................की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

अपर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Photocopy to HOD commerce for Records

Online letter 2019-20

पात्रता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

10.4 संस्कृत महाविद्यालयों को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन मॉड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करना होगा। सभी महाविद्यालयों को शासन एवं विश्वविद्यालय से आवश्यक अनुमति निर्धारित तिथियों में प्राप्त करना अनिवार्य है तथा महाविद्यालय को प्रोफाईल दर्ज कर मेपिंग महाविद्यालय से आनलाईन सत्यापन तथा विश्वविद्यालय से आनलाईन पुर्नसत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

11. **प्रवेश हेतु प्राथमिकता :**

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में महाविद्यालय में सी.एल.सी.चरण में स्थान रिक्त रहने की दशा में पात्रतानुसार ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

12. **आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा–**

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (क्रीमी–लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे संबद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित–परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।
6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल, वीरता हेतु पुलिस मैडल
7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

12.4 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

12.5 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण–पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

12.6 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.7 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, आयुक्त, कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत/दिवंगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

12.8 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

12.9 **अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेशः**

अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा एवं उनके संस्थान में सम्बंधित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित मैपिंग महाविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करना होगा।

12.9.1 ऐसे अशासकीय महाविद्यालय जिन्हें अल्पसंख्यक महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, तथा वह ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा विभाग को निर्धारित तिथियों में अनिवार्य रूप से निम्न दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा–

(अ) शासन द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(ब) विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन संबद्धता प्रमाण पत्र।

(स) अल्पसंख्यक संस्था/महाविद्यालय होने का मान्य प्रमाण पत्र।

(द) रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी कार्यालय में पंजीबद्ध अद्यतन गवर्निंग बाडी/प्रबन्धन सूची का प्रमाण पत्र।

(य) विगत वर्ष में प्रवेशित अल्पसंख्यक श्रेणी/गैर अल्पसंख्यक श्रेणी के विद्यार्थियों की संस्थावार एकजाई जानकारी।

(र) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त रखने हेतु संस्था का आवेदन।

12.9.2 मैपिंग महाविद्यालय संबंधित अल्पसंख्यक महाविद्यालय की प्रोफाईल का सत्यापन करते समय 12.9.1 में उल्लेखित 6 दस्तावेजों की मूल प्रतियां से मिलान कर सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

पोर्टल पर जोड़े गये महाविद्यालय का पुनः सत्यापन करने की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की है एवं उन्हें निशिचित समय–सीमा में पोर्टल पर दिये गये लिंक के माध्यम से सत्यापन करना अनिवार्य है। उक्त पुर्नसत्यापन कराने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की भी होगी। यदि समय–सीमा विश्वविद्यालय द्वारा पुनः सत्यापन नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में उक्त महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेगा।

12.10 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।

12.11 कंडिका 2.5 अनुसार सी.एल.सी. चरण में समय सारणी अनुसार पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

12.12 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

12.13 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो: पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देंगी तथा प्रवेशित आवेदकों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेंगी।

13. **अधिभार :**

अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण–पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन–पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये आवेदन पत्र में उल्लेखित संबंधित प्रमाणपत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होंगे। विशेष परिस्थितियों में सत्यापन के बाद, प्रस्तुत अन्य प्रमाण पत्रों पर, अधिभार हेतु क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक सक्षम होंगे। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।

साउथ एशियन गेम्स, भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी तथा भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्हता पूर्ण होने पर बगैर किसी गुणानुक्रम के उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनके वे पात्र हैं। संचालक, खेल और युवक कल्याण म.प्र. के पत्र क. 7678/खेयुक/2018, दिनांक 14.11.2018 के तहत खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हेतु नियमों/ अभिप्रमाणन को निम्नानुसार अद्यतन किया गया है।

13.1 **एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स(स्काउट/गाईड्स/रेन्जर्स):**

(क)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'ए' सर्टिफिकेट	2 प्रतिशत
(ख)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	3 प्रतिशत
(ग)	एन.सी.सी 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	4 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता	4 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी. कन्टिनजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	5 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट	5 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट	10 प्रतिशत
(झ)	मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	15 प्रतिशत
(र)	भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट	15 प्रतिशत
(ल)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्हुरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	10 प्रतिशत
(व)	भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	2 प्रतिशत

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त

वर्ष : 2019–20

बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., बी.एड.एम.एड. (एकीकृत) बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड. एवं बी.एल.एड. पाठ्यक्रमों हेतु

प्रवेश प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त

मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन
भोपाल, मध्यप्रदेश

3. सीटों का आरक्षण :

3.1 आरक्षण प्रतिशत :

अ –मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित 75 प्रतिशत एवं बाहरी राज्यों हेतु उपलब्ध 25 प्रतिशत स्थानों में से विभिन्न श्रेणियों के लिए स्थानों का आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार होगा :

स0क्र0	श्रेणी	मध्यप्रदेश के मूल निवासी	बाह्य राज्य के निवासी
1	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत	15 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी–परत छोड़कर)	14 प्रतिशत	27.5 प्रतिशत

ब –मध्यप्रदेश राज्य के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों में विभिन्न संवर्गो का आरक्षण निम्नानुसार होगा :

1. सैनिक सवंर्ग के प्रत्याशियों के लिये 03 प्रतिशत।
2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों के लिए 03 प्रतिशत।
3. निःशक्त प्रत्याशियों के लिये 05 प्रतिशत।
4. विधवा/परित्यक्ता के लिये 01 प्रतिशत।

3.2 महिलाओं के लिये आरक्षण शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत क्षैतिजीय (Horizontal) है। कुल स्थानों के 30 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को उनकी मेरिट (योग्यता क्रम) के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

3.2.1 सैनिक संवर्ग (एस) : कुल स्थानों के तीन प्रतिशत स्थान क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन सैनिक कर्मचारियों व उनके पुत्र, पुत्रियों या पत्नियों के लिये आरक्षित होंगी। सैनिक वर्ग में रक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत रक्षा कर्मचारी तथा ऐसे रक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों, आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

2-1-1

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ,भवन मंत्रालय–462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 31-07-2020

क्रमांक: 949 / 2020/सीसी/2020/अड़तीस :: राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2020–21 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्वांत, अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय–सारणी जारी किये जाते हैं।

संलग्न– प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत।

31/07/2020
(श्वेता पवार)
उप सचिव
म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक: 950 /सीसी/2020 /

भोपाल, दिनांक 31-07-2020

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल,म.प्र.।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा,म.प्र.।
3. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र.।
6. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन /छतरपुर एवं छिन्दवाड़ा म.प्र.।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
9. सी.ई.ओ. एम.पी.ऑनलाइन, द्वितीय तल डी.बी.मॉल, एम.पी.नगर भोपाल म.प्र. की ओर कार्यवाही हेतु ।
10. प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
11. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

.... की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

31/07/2020
उप सचिव
म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग

12. आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा--

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (क्रीमी–लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681–227–इक्कीस–अ (प्रा.) अधि. दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश के परिपालन में मार्गदर्शिका में समाहित किया जा रहा है परंतु याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा)

12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातीयों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे संबद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित–परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मैडल पत्रों में उल्लेख।
6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल
7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

12.4 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जायेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

12.4.1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) : विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ–07–11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 444/243/आउशि/शा.–5'अ'/2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुक्रम में दिया जायेगा।

12.5 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण–पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

12.6 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.7 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत/दिवंगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीड़ा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों

एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

12.8 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

12.9 **अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश:**

अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बंधित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित मैपिंग महाविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के ई–प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन माड्यूल में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करना होगा।

12.9.1 ऐसे अशासकीय महाविद्यालय जिन्हें अल्पसंख्यक महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त है तथा वह ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिये आवेदन करना चाहते हैं हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा विभाग को निर्धारित तिथियों में अनिवार्य रूप से निम्न दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत करने होंगे–

(अ) शासन द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र।
(ब) विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन संबद्धता प्रमाण पत्र।
(स) अल्पसंख्यक संस्था/महाविद्यालय होने का मान्य प्रमाण पत्र
(द) रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी कार्यालय में पंजीबद्ध अद्यतन गवर्निंग बाडी/प्रबन्धन सूची का प्रमाण पत्र।
(य) विगत वर्ष में प्रवेशित अल्पसंख्यक श्रेणी/गैर अल्पसंख्यक श्रेणी के विद्यार्थियों की संस्थावार एकजाई जानकारी।
(र) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त रखने हेतु संस्था का आवेदन।

12.9.2 मैपिंग महाविद्यालय संबंधित अल्पसंख्यक महाविद्यालय की प्रोफाईल का सत्यापन करते समय 12.9.1 में उल्लेखित 6 दस्तावेजों की मूल प्रतियां से मिलान कर सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

पोर्टल पर जोड़े गये महाविद्यालयों का पुनः सत्यापन करने की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की हैं एवं उन्हे निश्चित समय सीमा में पोर्टल पर दिये गये लिंक के माध्यम से सत्यापन करना अनिवार्य हैं। उक्त पुर्नसत्यापन कराने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की ही होगी। यदि समय सीमा में विश्वविद्यालय द्वारा पुर्नसत्यापन नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में उक्त महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेगा।

12.10 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।

12.11 कंडिका 2.5 अनुसार सी.एल.सी. प्रथम चरण में समय सारणी अनुसार पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित किये जायेंगे।

12.12 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

12.13 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो, पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देंगी तथा प्रवेशित आवेदकों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेंगी।

13. अधिभार :

अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण–पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन–पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये आवेदन पत्र में उल्लेखित संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होंगे। विशेष परिस्थितियों में सत्यापन के बाद, प्रस्तुत अन्य प्रमाण पत्रों पर, अधिभार हेतु क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक सक्षम होंगे। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।

साउथ एशियन गेम्स, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अधिकृत अंतराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगितायों में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी तथा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलो में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ीयों को अर्हता पूर्ण होने पर बगैर किसी गुणानुक्रम के उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता हैं जिनके वे पात्र हैं। संचालक खेल एवं युवक कल्याण म.प्र. के पत्र क. 7678/खेयुक/2018दिनॉक 14.11.2018 के तहत् खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हेतु नियमों/अभिप्रमाणो को अद्यतन किया गया हैं।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स(स्काउट/गाईड्स/रेन्जर्स):

(क)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'ए' सर्टिफिकेट	2 प्रतिशत
(ख)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	3 प्रतिशत
(ग)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	4 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता	4 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिनजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	5 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट	5 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट	10 प्रतिशत
(झ)	मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	15 प्रतिशत
(र)	भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचैंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट	15 प्रतिशत
(ल)	एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्बुरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	10 प्रतिशत
(व)	भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	2 प्रतिशत

प्रवेश प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त

वर्ष 2020–21

(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु)

बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., (दो वर्षीय) बी.एड.एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय) बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड. एवं बी.एल.एड. (एकीकृत चार वर्षीय) पाठ्यक्रमों से संबंधित

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
भोपाल, मध्यप्रदेश

3. सीटों का आरक्षण :

3.1 आरक्षण प्रतिशत :

अ– मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित 75 प्रतिशत एवं बाहरी राज्यों हेतु उपलब्ध 25 प्रतिशत स्थानों में से विभिन्न श्रेणियों के लिए स्थानों का आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार होगा :

स0क्र0	श्रेणी	मध्यप्रदेश के मूल निवासी	बाह्य राज्य के निवासी
1	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत	15 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी–परत छोड़कर)	14 प्रतिशत	14 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत

नोटः मध्यप्रदेश के राजपत्र कमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन कमांक 13681–227–इक्कीस–अ (प्रा.) अधि. दिनांक 13.08.2019 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में संशोधन किया गया। रिट याचिका कमांक 5901/2019 द्वारा : सुश्री आशिता दुबे विरूद्व मध्यप्रदेश शासन में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 19.03.2019 को पारित आदेश के परिपेक्ष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रतिशत की सीमा को 14 प्रतिशत ही रखा गया है। इस संबंध में माननीय् न्यायालय के निर्णयानुसार इसे परिवर्तित किया जा सकेगा।

ब– मध्यप्रदेश राज्य के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों में विभिन्न संवर्गो का आरक्षण निम्नानुसार होगा :

1. सैनिक संवर्ग के प्रत्याशियों के लिये 03 प्रतिशत।
2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों के लिए 03 प्रतिशत।
3. निःशक्त प्रत्याशियों के लिये 05 प्रतिशत।
4. विधवा/परित्यक्ता के लिये 01 प्रतिशत।

3.2 महिलाओं के लिये आरक्षण शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत क्षैतिजीय (Horizontal) है। कुल स्थानों की 30 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को उनकी मेरिट (योग्यता क्रम) के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

Year	Program	Total Earmarked Seats	Number of Seats Earmarked for Reserved Category as per Govt. Rule				Number of Students admitted for Reserved Category as per Govt. Rule				Total
			SC	ST	OBC	Divyang	SC	ST	OBC	Divyang	
2016-17	B.Com	159	48	60	42	9	5	2	23	0	30
	BCA	32	10	12	8	2	0	1	4	0	5
	BBA	32	10	12	8	2	0	0	2	0	2
	M.Com	32	10	12	8	2	3	0	4	0	7
	B.Ed	50	15	16	16	3	11	4	11	0	26
2017-18	B.Com	165	48	60	42	15	2	2	19	0	23
	BCA	33	10	12	8	3	0	0	3	0	3
	BBA	33	10	12	8	3	1	1	2	0	4
	M.Com	33	10	12	8	3	4	0	6	0	10
	B.Ed	50	15	16	16	3	17	2	10	0	29
2018-19	BA	132	38	48	34	12	1	2	5	0	8
	B.Com	165	48	60	42	15	10	0	25	0	35
	BCA	33	10	12	8	3	0	0	0	0	0
	BBA	33	10	12	8	3	0	0	1	0	1
	M.Com	33	10	12	8	3	0	0	8	0	8
	B.Ed	50	15	16	16	3	21	13	22	0	56
2019-20	BA	132	38	48	34	12	4	0	4	0	8
	B.Com	165	48	60	42	15	7	1	20	0	28
	BCA	33	10	12	8	3	0	0	0	0	0
	BBA	33	10	12	8	3	1	1	1	0	3
	M.Com	33	10	12	8	3	1	0	6	0	7
	B.Ed	53	15	14	21	3	20	11	18	1	50
2020-21	BA	132	38	48	34	12	0	1	0	0	1
	B.Com	165	48	60	42	15	1	0	2	0	3
	BCA	33	10	12	8	3	0	0	0	0	0
	BBA	33	10	12	8	3	0	0	0	0	0
	M.Com	33	10	12	8	3	1	1	2	0	4
	B.Ed	50	17	14	14	5	18	17	20	0	55

Anand Vihar College For Women

Year	Scheme	Course	Amount	No of Student Beneficial
2016-17	Post Matric Scholarship			
		General Course	158276	44
		B.Ed	1259990	62
		D.El.Ed	468035	52
		Total	**1886301**	**158**
2017-18	Post Matric Scholarship			
		General Course	199179	51
		B.Ed	951560	44
		D.El.Ed	367030	31
		Total	**1517769**	**126**
2018-19	Post Matric Scholarship			
		General Course	187304	37
		B.Ed	1100590	42
		D.El.Ed	132545	11
		Total	**1420439**	**90**
2019-20	Post Matric Scholarship			
		General Course	182329	39
		B.Ed	1098590	43
		D.El.Ed	162265	12
		Total	**1443184**	**94**
2020-21	Post Matric Scholarship			
		General Course	42276	9
		B.Ed	745926	22
		D.El.Ed	31520	2
		Total	**819722**	**33**

Principal
Anand Vihar College
For Women Bhopal

B.Ed

State Scholarship Portal 2.0, Madhya Pradesh
विद्यार्थी सुविधा पटल

Welcome 47020-Anand Vihar College For Women Tulsi Nagar, Bhopal 462003 M.P.

Menu

Home | Profile | Hostels | Courses and Fee | Fees Capping / AFRC | Application Receipt | Process Applications
Attendance | Reports | DSC Management | Sign Proposals Digitally | Password | Help | Download Document

To Show The List Of All Disbursal At A Specific Stage.

Scheme: --All-- | Academic Year: 2016-17 | Disbursal Type: --Both Disbursal Typ

Show Disbursals | Go to Home

S.No.	Disbursal Number	Disbursal Type	Scheme	Installment Percentage	Disbursed Amount	No. Of Applications	Disburse Date	View Application
1	10092852	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for ST	90	99180	4	22/03/2017	
2	10092851	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for ST	90	122220	5	22/03/2017	
3	10094188	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	300800	11	24/03/2017	
4	10094190	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	482600	17	24/03/2017	
5	10095226	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for OBC	100	58770	7	27/03/2017	
6	10095227	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for OBC	100	142080	16	27/03/2017	
7	10112698	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for ST	90	25740	1	11/07/2017	
8	10118232	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for ST	100	28600	1	26/10/2017	

PRINCIPAL
ANAND VIHAR COLLEGE FOR WOMEN
BHOPAL

B. Com

State Scholarship Portal 2.0, Madhya Pradesh
विद्यार्थी सुविधा पटल

Welcome 16295-Anand Vihar Girls College

Menu

ome | Profile | Hostels | Courses and Fee | Fees Capping / AFRC | Application Receipt | Process Applications | Download Document | Sign Proposals Digitally | Password | Help | Attendance | Reports | DSC Management

To Show The List Of All Disbursal At A Specific Stage.

Scheme: --All-- | Academic Year: 2016-17 | Disbursal Type: --Both Disbursal Typ

Show Disbursals | Go to Home

S.No.	Disbursal Number	Disbursal Type	Scheme	Installment Percentage	Disbursed Amount	No. Of Applications	Disburse Date	View Application
1	10094191	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	20388	4	24/03/2017	
2	10094192	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	24368	4	24/03/2017	
3	10095223	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for OBC	100	85755	27	27/03/2017	
4	10095224	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for OBC	100	27765	9	27/03/2017	

PRINCIPAL
ANAND VIHAR COLLEGE FOR WOMEN
BHOPAL

State Scholarship Portal 2.0, Madhya Pradesh
विद्यार्थी सुविधा पटल

B. Ed

Welcome 47020-Anand Vihar College For Women Tulsi Nagar, Bhopal 462003 M.P.

Home | Profile | Hostels | Courses and Fee | Fees Capping / AFRC | Application Receipt | Process Applications | Menu
Attendance | Reports | DSC Management | Sign Proposals Digitally | Password | Help | Download Document

To Show The List Of All Disbursal At A Specific Stage.

Scheme: --All-- | Academic Year: 2017-18 | Disbursal Type: --Both Disbursal Typ

Show Disbursals | Go to Home

S.No.	Disbursal Number	Disbursal Type	Scheme	Installment Percentage	Disbursed Amount	No. Of Applications	Disburse Date	View Application
1	10147281	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for ST	100	53900	2	28/04/2018	
2	10147282	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for ST	100	114400	4	28/04/2018	
3	10148797	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	355000	13	07/05/2018	
4	10148796	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	311000	11	07/05/2018	
5	10160069	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for OBC	100	53760	8	20/07/2018	
6	10160070	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for OBC	100	36100	5	20/07/2018	
7	10160224	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	27400	1	23/07/2018	

PRINCIPAL
ANAND VIHAR COLLEGE FOR WOMEN
BHOPAL

State Scholarship Portal 2.0, Madhya Pradesh
विद्यार्थी सुविधा पटल

B.Com

Welcome 16295-Anand Vihar Girls College

Menu

Home | Profile | Hostels | Courses and Fee | Fees Capping / AFRC | Application Receipt | Process Applications | Attendance | Reports | DSC Management | Sign Proposals Digitally | Password | Help | Download Document

To Show The List Of All Disbursal At A Specific Stage.

Scheme: --All-- | Academic Year: 2017-18 | Disbursal Type: --Both Disbursal Typ

Show Disbursals | Go to Home

S.No.	Disbursal Number	Disbursal Type	Scheme	Installment Percentage	Disbursed Amount	No. Of Applications	Disburse Date	View Application
1	10121821	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	15049	3	27/12/2017	
2	10121820	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	30460	5	27/12/2017	
3	10121749	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for ST	100	10140	2	26/12/2017	
4	10160043	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for OBC	100	24392	16	20/07/2018	
5	10160042	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for OBC	100	113016	23	20/07/2018	
6	10145514	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	4427	1	11/04/2018	
7	10160129	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for OBC	100	1695	1	20/07/2018	

PRINCIPAL
ANAND VIHAR COLLEGE FOR WOMEN
BHOPAL

State Scholarship Portal 2.0, Madhya Pradesh
विद्यार्थी सुविधा पटल

B. Ed

Welcome 47020-Anand Vihar College For Women Tulsi Nagar, Bhopal 462003 M.P.

Menu

ome Profile Hostels Courses and Fee Fees Capping / AFRC Application Receipt Process Applications

Attendance Reports DSC Management Sign Proposals Digitally Password Help Download Document

To Show The List Of All Disbursal At A Specific Stage.

Scheme : --All-- Academic Year: 2018-19 Disbursal Type --Both Disbursal Typ

Show Disbursals Go to Home

S.No.	Disbursal Number	Disbursal Type	Scheme	Installment Percentage	Disbursed Amount	No. Of Applications	Disburse Date	View Application
1	10181206	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for ST	100	77200	2	15/05/2019	
2	10191388	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	254000	7	06/07/2019	
3	10191389	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	386000	10	06/07/2019	
4	10207149	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for OBC	100	37330	4	22/10/2019	
5	10207148	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for OBC	100	47450	5	22/10/2019	
6	10194396	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	77200	2	29/07/2019	
7	10194393	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	35000	1	29/07/2019	
8	10198018	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	110400	3	28/08/2019	
9	10215367	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for OBC	100	57030	6	17/01/2020	
10	10214316	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for OBC	100	18980	2	02/01/2020	

PRINCIPAL
ANAND VIHAR COLLEGE FOR WOMEN
BHOPAL

State Scholarship Portal 2.0, Madhya Pradesh
विद्यार्थी सुविधा पटल

Welcome 16295-Anand Vihar Girls College

Menu

Home | Profile | Hostels | Courses and Fee | Fees Capping / AFRC | Application Receipt | Process Applications | Download Document | Help | Password | Sign Proposals Digitally | DSC Management | Reports | Attendance

To Show The List Of All Disbursal At A Specific Stage.

Scheme: --All-- | Academic Year: 2018-19 | Disbursal Type: --Both Disbursal Type

Show Disbursals | Go to Home

S.No.	Disbursal Number	Disbursal Type	Scheme	Installment Percentage	Disbursed Amount	No. Of Applications	Disburse Date	View Application
1	10173041	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	16988	4	23/03/2019	
2	10173043	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	13159	2	23/03/2019	
3	10191433	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	5192	1	06/07/2019	
4	10207150	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for OBC	100	60768	14	22/10/2019	
5	10207151	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for OBC	100	63915	10	22/10/2019	
6	10197783	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	13536	3	26/08/2019	
7	10197785	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	5192	1	26/08/2019	
8	10209436	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for OBC	100	8554	2	11/11/2019	

PRINCIPAL
ANAND VIHAR COLLEGE FOR WOMEN
BHOPAL

B. Ed

State Scholarship Portal 2.0, Madhya Pradesh
विद्यार्थी सुविधा पटल

Welcome 47020-Anand Vihar College For Women Tulsi Nagar, Bhopal 462003 M.P.

Menu

ome | Profile | Hostels | Courses and Fee | Fees Capping / AFRC | Application Receipt | Process Applications
Attendance | Reports | DSC Management | Sign Proposals Digitally | Password | Help | Download Document

To Show The List Of All Disbursal At A Specific Stage.

Scheme : --All-- | Academic Year: 2019-20 | Disbursal Type --Both Disbursal Typ

Show Disbursals | Go to Home

S.No.	Disbursal Number	Disbursal Type	Scheme	Installment Percentage	Disbursed Amount	No. Of Applications	Disburse Date	View Application
1	10230807	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	73600	2	08/07/2020	
2	10230808	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	301600	8	08/07/2020	
3	10230805	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	547800	15	08/07/2020	
4	10241603	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	38000	1	16/09/2020	
5	10269156	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for OBC	100	63700	8	14/07/2021	
6	10269157	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for OBC	100	73890	9	14/07/2021	

PRINCIPAL
ANAND VIHAR COLLEGE FOR WOMEN
BHOPAL

B. Com

State Scholarship Portal 2.0, Madhya Pradesh
विद्यार्थी सुविधा पटल

Welcome 16295-Anand Vihar Girls College

Menu

Home | Profile | Hostels | Courses and Fee | Fees Capping / AFRC | Application Receipt | Process Applications
Attendance | Reports | DSC Management | Sign Proposals Digitally | Password | Help | Download Document

To Show The List Of All Disbursal At A Specific Stage.

Scheme: --All-- | Academic Year: 2019-20 | Disbursal Type: --Both Disbursal Typ

Show Disbursals | Go to Home

S.No.	Disbursal Number	Disbursal Type	Scheme	Installment Percentage	Disbursed Amount	No. Of Applications	Disburse Date	View Application
1	10228880	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for ST	100	10384	2	23/06/2020	
2	10228674	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	13312	4	22/06/2020	
3	10228676	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	25960	5	22/06/2020	
4	10240694	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	5470	1	10/09/2020	
5	10269160	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for OBC	100	64913	15	14/07/2021	
6	10247536	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for OBC	100	62290	12	02/11/2020	

PRINCIPAL
ANAND VIHAR COLLEGE FOR WOMEN
BHOPAL

B. Ed

State Scholarship Portal 2.0, Madhya Pradesh
विद्यार्थी सुविधा पटल

Welcome 47020-Anand Vihar College For Women Tulsi Nagar, Bhopal 462003 M.P.

Menu

Home | Profile | Hostels | Courses and Fee | Fees Capping / AFRC | Application Receipt | Process Applications

Attendance | Reports | DSC Management | Sign Proposals Digitally | Password | Help | Download Document

To Show The List Of All Disbursal At A Specific Stage.

Scheme : --All-- | Academic Year: 2020-21 | Disbursal Type --Both Disbursal Typ

Show Disbursals | Go to Home

S.No.	Disbursal Number	Disbursal Type	Scheme	Installment Percentage	Disbursed Amount	No. Of Applications	Disburse Date	View Application
1	10279091	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	233526	7	29/09/2021	
2	10279090	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	512400	15	29/09/2021	

PRINCIPAL
ANAND VIHAR COLLEGE FOR WOMEN
BHOPAL

State Scholarship Portal 2.0, Madhya Pradesh
छात्रवृत्ति सुविधा पटल

B. Com

Welcome 16295-Anand Vihar Girls College

Menu

Home | Profile | Hostels | Courses and Fee | Fees Capping / AFRC | Application Receipt | Process Applications
Attendance | Reports | DSC Management | Sign Proposals Digitally | Password | Help | Download Document

To Show The List Of All Disbursal At A Specific Stage.

Scheme: --All-- | Academic Year: 2020-21 | Disbursal Type: --Both Disbursal Typ

Show Disbursals | Go to Home

S.No.	Disbursal Number	Disbursal Type	Scheme	Installment Percentage	Disbursed Amount	No. Of Applications	Disburse Date	View Application
1	10278760	New/Fresh Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	9009	2	28/09/2021	
2	10278761	Renewal Disburse	Post Metric Scholarship for SC	100	33267	7	28/09/2021	

PRINCIPAL
ANAND VIHAR COLLEGE FOR WOMEN
BHOPAL